इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जनवरी 2012—पौष 22, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. एफ. ए-03-58-2011-1-पांच (03).—यत:, राज्य शासन का यह विचार है कि मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(एक) प्ररूप-बाईस में, भाग-ग में, मद 1 के सामने, शब्द ''से कम'' के स्थान पर, शब्द ''तक'' स्थापित किया जाए;

(दो) प्ररूप-अट्ठाईस में, भाग-क में, मद 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

''2. निम्न के संबंध में कम कीजिए—

(एक) ऐसे कमरों की प्राप्तियां जिनके लिए टैरिफ की दर रुपये 2000.00 प्रतिदिन तक है;

(दो) प्राप्तियां, जिन पर खाद्य और पेय का प्रदाय होने के कारण वेट अधिनियम के अधीन कर देय है;

(तीन) अधिनियम के अधीन संग्रहीत कर;

(चार) कोई अन्य कटौती''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. एफ. ए-03-58-2011-1-पांच (03).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-58-2011-1-पांच (03) दिनांक 12 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th January 2012

No. F 3-58-2011-1-V (03).—WHEREAS, the State Government considers that the following amendments in the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Niyam, 2011 should be made;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 13 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Niyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Niyam, 2011, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

(i) in form XXII, in Part-C, against item 1, for the words "less than", the word "upto" shall be substituted;

(ii) in Form XXVIII, in Part-A, for item 2 and entries relating thereto, the following item and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

"2. Less deductions in respect of,—

[Total of (i) to (iv)]

(i) Receipts, of rooms for which the tariff rates are up to rupees 2000 per day.

(ii) Receipts on which tax is payable under Vat Act, being supply of food and drink.

(iii) Tax collected under the Act.

(iv) Any other deduction".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.